

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 782] No. 782] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 15, 2015/अग्रहायण 24, 1937

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 15, 2015/AGRAHAYANA 24, 1937

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2015

सा.का.नि. 969(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी सचिव (क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया और बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा भत्ते) नियम, 2006 के साथ पठित कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) की धारा 29क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 17 जुलाई, 2007 में प्रकाशित, भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. संख्यांक 490(अ), तारीख 13 जुलाई, 2007 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात:--

- 2. उक्त अधिसूचना के, क्रम संख्यांक (3) और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:--
- "(3) श्री ए.एम. बजाज, महानिदेशक (वाणिज्यिक)-2, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय 9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124
- यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

सदस्य"।

[फा. सं. 3(4)/प्रकीर्ण/2015-पीआई]

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), में सा.का.िन. संख्यांक 490(अ), तारीख 13 जुलाई, 2007 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् सा.का.िन. संख्यांक 68(अ), तारीख 6 फरवरी, 2012, सा.का.िन. 564(अ), तारीख 21 अगस्त, 2013 और सा.का.िन. 323(अ), तारीख 27 अप्रैल, 2015 द्वारा संशोधित की गई।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th December, 2015.

G.S.R. 969(E).—In exercise of the powers conferred by section 29A of the Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980), read with sub-rule (1) of rule 8 of Company Secretaries (Procedures of Meetings of Quality Review Board, and Terms and Conditions of Service and Allowances of the Chairperson and Members of the Board) Rules, 2006, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India Ministry of Corporate Affairs number G.S.R. 490(E), dated the 13th July, 2007, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 17th July, 2007, namely:-

2. In the said notification, for serial number (3) and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be substituted, namely:-

"(3) Shri A M Bajaj,

Member"

Director General (Commercial) – II, Office of the Comptroller and Auditor General of India, 9, Deen Dayal Upadhyaya Marg, New Delhi – 110 124.

This notification shall take effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 3 (4)/Misc/2015-PI]

MANOJ KUMAR, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 490(E), dated the 13th July, 2007 and subsequently amended *vide* numbers G.S.R. 68(E), dated the 6th February, 2012, G.S.R. 564(E), dated the 21st August, 2013 and G.S.R. 323 (E), dated the 27th April, 2015.